न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 320/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– राणाराम पुत्र लाखाराम 2– मांगीलाल पुत्र हडमानराम 3– सुरजाराम पुत्र भीयाराम 4– भाकरराम पुत्र हडमानराम सभी जाति विश्नोई निवासीगण धवा तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– जेताराम पुत्र खेराजराम 2– ओमाराम पुत्र खेराजराम 3– गंगाराम पुत्र खेराजराम 4– मोहनराम पुत्र खेराजराम 5– भंवरीदेवी पुत्री खेराजराम 6– भीकीदेवी पुत्री खेराजराम जातियान विश्नोई निवासीगण धवा तहसील लूनी जिला जोधपुर 7– उप तहसीलदार लूनी 8– पटवारी हल्का धवा 9– ग्राम पंचायत धवा तहसील लूनी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 1926 स्वीकृति दिनांक 6–12–2012 जो ग्राम पंचायत धवा द्वारा किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चेतनराम जाखड अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2–श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 1 से 7 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 27–11–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धवा प्रथम के खसरा नंबर 929 की रकबा 87.07 बीघा भूमि खेराजराम पुत्र गुलाराम जाति विश्नोई सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार खेराजराम के फौत होने पर उक्त अपीलाधीन भूमि का विरासत का नामांतरकरण संख्या 1926 मृतक के 4 पुत्रो, 1 पुत्री तथा पत्नी के नाम दर्ज कर उप तहसीलदार झंवर के आदेश दिनांक 25–10–2012 की पालना मे पटवारी हल्का धवा प्रथम ने भरकर पेश किया जो बाद जांच के सरपंच ग्राम पंचायत धवा ने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 6–12–2012 के द्वारा स्वीकृत किया । जिसके विरूद्ध अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय

हाजा के समक्ष लगभग 1 वर्ष विलंब से अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र के साथ पेश की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्रमा धवा के अपीलाधीन खसरा नंबर 929 के अलावा अन्य खसरा नंबरान क्रमशः 917, 1260, 1262, 1265, 1274 की भूमि पक्षकारो के पूर्वज गुलाराम के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की थी । उक्त गुलाराम के पांच पुत्र क्रमशः हडमानराम, जालाराम, लाखाराम, खेराजराम एवं भीयाराम थे जिनका उक्त भूमि मे प्रत्येक का 1/5 हिस्सा होते हुए उक्त खसरा नंबरान क्रमशः 917, 1260, 1262, 1265, 1274 की कुल 201 बीघा 12 बिस्वा भूमि तो गुलाराम के पांचो पुत्रो के नाम दर्ज कर दी गई लेकिन खसरा नंबर 929 रकबा 87 बीघा 07 बिस्वा भूमि अकेले खेराजराम पुत्र गुलाराम जाति विश्नोई सा0 देह के नाम दर्ज कर दी तथा खेराजराम तथा उसके पुत्रो ने अपीलांटगण के अन्य खसरा नंबरान की भूमि पर दखल अंदाजी करने लगे तो जालाराम, हडमानराम एवं लखाराम के सभी उतराधिकारी ने दिनांक 4–5–2005 को एक दावा बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम खेराजराम के कायम मुकाम प्रस्तुत किया, जो अभी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी मे विचाराधीन है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट्स की ओर से ग्राम पंचायत धवा तथा पटवारी हल्का को अपीलाधीन खसरा नंबर 929 की भूमि का नामांतरकरण स्वीकार नही करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था फिर भी उक्त नामांतरकरण बिना अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा नामांतरकरण संख्या 1926 के कॉलम संख्या 14 मे उप तहसीलदार झंवर के मौखिक निर्देशो के क्रम मे स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो के बीच सक्षम न्यायालय मे राजस्व वाद विचाराधीन था तो वाद के विचाराधीन रहते किसी प्रकार के नामांतरकरण की कार्यवाही नही की जानी चाहिये थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1926 निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमिं के केवल 1/5 भाग पर ही रेस्पो0 संख्या 1 से 6 का कब्जा काश्त था शेष समस्त भूमि पर

अपीलांटगण का ही कब्जा काश्त होते हुए अपीलाधीन म्युटेशन कब्जे की जांच किये बिना ही स्वीकृत कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट्स को सुने बिना ही अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत किया जाने से उक्त म्युटेशन की जानकारी होने से यह अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है जिसे अंदर मयाद सुमार करते हए अपीलांट्स की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा ग्राम पंचायम धवा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1926 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपीलाधीन नामांतरकरण को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि उक्त नामांतरकरण संख्या 1926 विरासत का नामांतरकरण है जो कि खातेदार खेराजराम के फौत होने पर उनके उतराधिकारियो वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पक्ष मे विधिवत स्वीकृत किया गया है । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि जहां तक पक्षकारो के बीच अन्य भूमियों के साथ अपीलाधीन भूमि के संबंध मे खातेदारी घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत एक नियमित वाद सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी के न्यायालय मे विचाराधीन है, तो उक्त नियमित वाद मे पारित होने वाले निर्णय से पक्षकारो के अधिकारो की घोषणा होनी है । म्युटेशन की कार्यवाही तो राजस्व रेकर्ड को अपडेट करने संबंधी सामान्य प्रकिया है इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन विधिवत स्वीकृत होने से अपीलांटगण की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1926 का भी अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित खसरा नंबर 929 की 87.07 बीघा भूमि का खातेदार खेराजराम पुत्र गुलाराम था जिसके फौत होने पर उक्त अपीलाधीन भूमि उसके विधिक वारिसान वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पक्ष मे अपीलाधीन म्युटेशन के जरिये दर्ज की जाकर उक्त म्यटेशन को ग्राम पंचायत धवा द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 6–12–2012 के द्वारा स्वीकृत किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

अपीलांट का यह कथन कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो के बीच नियमित वाद विचाराधीन है तो अपीलाधीन भूमि के संबंध मे हक अधिकारो का निर्धारण तो नियमित वाद के निर्णय से ही होना है तथा नियमित वाद की कार्यवाही मे अपीलाधीन भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नही किया है, ऐसे मे म्युटेशन की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही होने से विरासत के रूप मे पूर्व खातेदार के स्थान पर उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज हुआ है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1926 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर